Public Notice
Steel Authority of India Limited
Bhilai Steel Plant

M/s Bhilai Steel Plant-Town Electrical & Engineering Department (BSP-TEED), a distribution licensee in its area of operations in Bhilai, was required to file a petition for approval of true-up of previous years, Aggregate Revenue Requirement (ARR) for the Control Period from FY 2022-23 to FY 2024-25 and determination of retail tariff for FY 2022-23 by 30th November 2021 under Sections 86 (1) (a) and 62 of Electricity Act, 2003 read with CSERC (Terms and Conditions of determination of tariff according to Multi-Year Tariff Principle and Methodology and Procedure for determination of Expected revenue from Tariff and charges) Regulations, 2021.

M/s BSP-TEED filed Petition No. 42/2020 in April 2020 for determination of True-up for FY 2016-17 and FY 2017-18. In this instant petition, petitioner proposed an overall hike of 5% across all tariff categories with respect to the existing tariff for FY 2019-20 in order to partially recover revenue shortfalls of previous years, with the balance revenue shortfall being borne by BSP-TEED. As the financial year 2019-20 was over, the Commission directed BSP-TEED to revise the petition and submit proposal for determination of tariff for the year FY 2020-21. In response to this, M/s BSP-TEED filed revised petition in January 2021 for determination of tariff for the year 2021-22. Meanwhile, the Commission initiated suo-motu petition no. 18 /2021 for determination of tariff for the year 2021-22. As BSP-TEED had already proposed retail tariff for 2021-22, suo-motu petition no. 18/2020 initiated by the Commission was merged with petition no. 42/2020. In response to the Commission's directive to file a ARR petition for the Control Period from FY 2022-23 to FY 2024-25, BSP-TEED has not submitted its proposal. The Commission has initiated a suo-motu Petition No. 12 of 2022 for determination of ARR for the control period from FY 2022-23 to FY 2024-25 and retail tariff for FY 2022-23 because BSP-TEED has not filed the petition within the stipulated time. Regarding retail tariff proposal for FY 2022-23, BSP-TEED has submitted that the retail tariff approved by the Commission for the year 2021-22 in petition no 42/2020 and petition no 18/2021 shall be continued for the year 2022-23 as well.

In the absence of a tariff proposal for FY 2022-23, the Commission will estimate BSP-TEED's ARR for the year 2022-23 using data filed in petition no. 42/2020 and 18/2021. In case of requirement of any additional data/information, the same shall be sought from BSP-TEED. The submissions in petition 42/2020, 18/2021 and subsequent submissions are available on the Commission's website i.e. www.cserc.gov.in.

Objections/suggestions have already been invited on Petition Nos. 42/2020 and 18/2021 through the public notice published in newspapers on 25/11/2021.Objections/suggestions submitted in response to above mentioned public notice will also be considered in the disposal of the instant suo motu Petition no 12/2022.

Objections/suggestions, if any, on the aforementioned petitions should be sent to The Secretary, Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission, Vidyut Niyamak Bhavan, Shanti Nagar, Raipur (C.G.) – 492001, email id – cserc.sec.cg@nic.in, and/or petitioner office to General Manager, BSP (TEED), Bhilai Steel Plant by April 24, 2022. Notice for the public hearing on the aforementioned Petition shall be published by the Commission separately.

General Manager (TEED)
Bhilai Steel Plant

vkelpuk
LVhy vFkkfjVh vkQ bf.M;k fyfeVM
fHkykbZ bLikr l;a=

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहु–वर्षीय टैरिफ सिद्धांत के अनुसार टैरिफ के निर्धारण के नियम और शर्तें और टैरिफ और शुल्कों से अपेक्षित राजस्व के निर्धारण के लिए कार्यप्रणाली और प्रक्रिया) विनियम, 2021 के अनुपालन में बीएसपी–टीईईडी को वर्ष 2022–23 हेतु खुदरा दर के निर्धारण हेतु 30 नवम्बर, 2021 तक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष याचिका प्रस्तुत किया जाना था। इसलिए आयोग द्वारा बीएसपी–टीईईडी को नियंत्रण अवधि वर्ष 2022–23 से वर्ष 2024–25 तक के वार्षिक राजस्व आवश्यकता पिछले वर्ष के ट्रू–अप एवं वर्ष 2022–23 के द्वारा दर निर्धारण हेतु याचिका दायर किये जाने हेतु निर्देशित किया गया किन्तु बीएसपी–टीईईडी द्वारा नियत समय में याचिका दायर किये जाने में असमर्थता व्यक्त किया गया। अतः आयोग द्वारा वर्ष 2022–23 में खुदरा दर निर्धारण हेतु स्वप्रेरणा से याचिका क्रमांक 12/2022 पंजीकृत किया गया।

मेसर्स बीएसपी–टीईईडी द्वारा वित्त वर्ष 2016–17 और वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए ट्रू–अप के निर्धारण के लिए अप्रैल 2020 में याचिका संख्या 42/2020 दायर किया गया था। इस याचिका में, याचिकाकर्ता ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए मौजूदा टैरिफ के संबंध में सभी टैरिफ श्रेणियों में लगभग 5% की वृद्धि का प्रस्ताव रखा, ताकि पिछले वर्षों की राजस्व कमी की आंशिक रूप से भरपाई किया जा सके, शेष राजस्व की कमी को बीएसपी–टीईईडी द्वारा स्वयं वहन किया जा रहा है। चूँकि उक्त याचिका वित्तीय वर्ष 2019–20 समाप्त होने के बाद दायर की गई इसलिए आयोग द्वारा बीएसपी–टीईईडी को याचिका को संशोधित करने और वर्ष 2020–21 के लिए टैरिफ के निर्धारण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। इसके प्रत्युत्तर में, मैसर्स बीएसपी–टीईईडी ने वर्ष 2021–22 के लिए टैरिफ के निर्धारण के लिए जनवरी 2021 में संशोधित याचिका दायर की। इस बीच, आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर याचिका सं. 18/2021 वर्ष 2021–22 के लिए टैरिफ के निर्धारण के लिए पंजीकृत किया गया। आयोग द्वारा शुरू की गई 18/2020 को याचिका संख्या 42/2020 के साथ विलय कर दिया गया। वित्त वर्ष 2022–23 से वित्त वर्ष 2024–25 तक नियंत्रण अवधि के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता याचिका दायर करने के आयोग के निर्देश के जवाब में, बीएसपी–टीईईडी द्वारा अपना प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है। फलस्वरूप आयोग द्वारा वित्त वर्ष 2022–23 से वित्त वर्ष 2024–25 तक की नियंत्रण अवधि के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता और वित्त वर्ष 2022–23 के लिए खुदरा टैरिफ के निर्धारण के लिए की स्व–प्रेरणा याचिका संख्या 12/2022 पंजीकृत किया गया। वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए खुदरा टैरिफ प्रस्ताव के संबंध में, बीएसपी–टीईईडी ने प्रस्तुत किया है कि आयोग द्वारा वर्ष 2021–22 के लिए याचिका संख्या 42/2020 और याचिका संख्या 18/2021 में अनुमोदित खुदरा टैरिफ वर्ष 2022–23 के लिए जारी रखा जा सकता है।

वित्त वर्ष 2022–23 के लिए टैरिफ प्रस्ताव की अनुपस्थिति में, आयोग याचिका संख्या 42/2020 और 18/2021 में दायर आँकड़े का उपयोग करके वर्ष 2022–23 के लिए बीएसपी–टीईईडी के वार्षिक राजस्व आवश्यकता का निर्धारण करेगा। किसी भी अतिरिक्त आँकड़े/सूचना की आवश्यकता होने पर, इसे बीएसपी–टीईईडी से मांगा जाएगा। याचिका 42/2020, 18/2021 और उसके बाद की प्रस्तुतियाँ आयोग की वेबसाइट यानी www.cserc.gov.in पर उपलब्ध हैं। दिनांक 25/11/2021 को समाचार पत्रों में

प्रकाशित सार्वजनिक सूचना के माध्यम से याचिका संख्या 42/2020 और 18/2021 पर पहले ही आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए जा चुके हैं। याचिका संख्या 12/2022 के निराकरण के दौरान उक्त सार्वजनिक सूचना के जवाब में प्रस्तुत आपत्तियों/सुझावों पर भी विचार किया जाएगा।

उपरोक्त याचिका पर सुझाव एवं आपत्तियां दिनांक 24/04/2022 तक सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर–492001, ई–मेलः cserc.sec.cg@nic.in या महाप्रबंधक भिलाई इस्पात संयंत्र (टीईईडी) भिलाई इस्पात संयंत्र नगर प्रशासन भवन नागरिक केंद्र भिलाई जिला – दुर्ग (छ.ग.) के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है। सुनवाई हेतु स्थल एवं दिनांक की सूचना आयोग द्वारा पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशित की जावेगी।

egkizcU/kd
fHkykbZ bLikr la;a= ¼VhbZbZMh½